संलग्नक–04

कार्यवाही विवरण

M/s National Highways Authority of India, Development of Bilaspur द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Juction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 25/02/2019 दिन–सोमवार, समय–11:00 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन अमलीपाली के समीप खुले मैदान, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत M/s National Highways Authority of India, Development of Bilaspur द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Juction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) **के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति** के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र नवभारत, बिलासपुर में दिनांक 23.01.2019 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 23.01.2019 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई **दिनांक 25/02/2019 दिन–सोमवार, समय–11:00 बजे, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत भवन अमलीपाली के समीप खुले मैदान, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा, जिला पंचायत कार्यालय, जांजगीर–चांपा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय चांपा, जिला– जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत सांकर, कार्यालय ग्राम पंचायत सोनादुल्ला, कार्यालय ग्राम पंचायत चंगोरी, कार्यालय ग्राम पंचायत अमलीपाली, कार्यालय ग्राम पंचायत सोन, कार्यालय ग्राम पंचायत पिपरदा, कार्यालय ग्राम पंचायत चंदनिया, कार्यालय ग्राम पंचायत धोरला, कार्यालय ग्राम पंचायत बछौद, कार्यालय ग्राम पंचायत चारपारा, कार्यालय ग्राम पंचायत बलौदा, कार्यालय ग्राम पंचायत भिलाई, कार्यालय ग्राम पंचायत कोरबी, कार्यालय ग्राम पंचायत डोंगरी, कार्यालय ग्राम पंचायत हरदीबिशाल, कार्यालय ग्राम पंचायत खिसोरा, कार्यालय ग्राम पंचायत अंगारखार, कार्यालय

ग्राम पंचायत पंतोरा, कार्यालय ग्राम पंचायत बक्सरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में पत्र प्राप्त हुए नहीं हैं। दिनांक 08.02.2019 को श्री जयंत बोहिदार इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तावित परियोजना की ईआईए रिपोर्ट व हिन्दी/अंग्रेजी कार्यपालकसार का अवलोकन किया गया।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि **दिनांक 25/02/2019 दिन–सोमवार, समय–11:00 बजे, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में स्थान–ग्राम पंचायत भवन अमलीपाली के समीप खुले मैदान, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम **श्री ए. के. धृतलहरे, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा** द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री भूपेन्द्र मानसृष्टा एवं श्री अनूप कुमार चौधरी, M/s National Highways Authority of India, Development of Bilaspur द्वारा जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा के Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Juction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री किर्ती कुमार राजपूत, अमलपाली :–इस रोड में जितने किसान की जमीन रोड में आ रही है। उनको उचित मुआवजा दिया जाये। इससे हम सहमत है। किसानो की जमीन जा रही है उनको उचित मुआवजा दिया जाये। रोड में जितने पेड़ कटते है, उससे अधिक पेड लगाये जाये। इतना ही आग्रह करना चाहूंगा।

2. श्रीमती प्रभा सिंह राजपूत, अमलीपाली :– किसानों की मूल पूंजी खेती है। किसान खेती करके रोजगार चलाते है। खेती चले जाने से वो जीविका कैसे चलायेंगे। उनको नौकरी देने की महान कृपा करें।

3. श्री बंशीलाल कुर्रे, हरदीविशाल :– रोड में जमीन निकल रहा है। जिन किसानों को उनका उचित नाप कराया जाये। मुआवजा दिया जाये, गलत न होने पाये। बाल बच्चों को रोजगार दिलाया जाये। बाल बच्चों को नौकरी दे। किसान के हित में काम करें।

4. श्री बलराम यादव, कोरबी. :–मेरी जमीन जा रही है। मेरी खेत में 14 आम पेड है मैं खेत बेचा हूँ प़ेड नहीं। पटवारी मानने को तैयार नहीं है। पटवारी नहीं मानता मुझे न्याय दिलाया जाये। उचित मुलायजा दिया जाये।

5. श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, सोनडीह :– 3.75 एकड़ जमीन है, रोड में जो जमीन पड़ रहा है वह मेरी है। हमारी जमीन पिताजी एवं बडे पिताजी के बीच नहीं बटा है। पेशी चल रहा है। हमको सही न्याय दियाला जाये, ताकि उचित मुआवजा मुझे मिलें।

6. श्री खोरबहरा बनर्जी, हरदीविशाल :– पटवारी से कोई जानकारी नहीं है। किस किसान का कितना जमीन निकला है। उसकी जानकारी दें।

7. श्री सुरेश कुमार महवाल, अमलीपाली :– सड़क निर्माण कर रहे है। उसका समर्थन है। प.ह.नं. 02 अमलीपाली हमारे यहां का मुआवजा क्या होगा। ट्यूबवेल भी आ रहा है उसका मुआवजा क्या होगा। आज तक किसी को क्लीयर पता नहीं है। मुआवजा देने वाले है उसकी जानकारी बतायें।

8. श्री अंतराम राज, हरदीविशाल :– मैं शासन से जवाब चाहता हूँ। फोरलाईन सर्वे किये है। देखे सुने में आया है कि रोड कैंसल हो गया था। फोरलाईन रोड कैंसल हो जायेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मै शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आधिकारी पटवारी ये नही बता रहे है कि कौन सा जमीन जा रहा है। जमीन का क्या–क्या रेट है, बतावे। मेढ में झाड है उसका रेट क्या तय किया गया है यह मै पूछना चाहता हूं। शासन प्रशासन जनता को कहता है पेड लगाओ लेकिन शासन के जमीन में पेड लगाता हूं तो वह मेरी होगी। लेकिन उस पेड़ का मुआवजा नहीं मिलेगा कहां जाता है। पटवारी के साथ मिलीभगत किया जाता है। इसकी तत्काल जांच की जाये।

9. श्रीमती कुमित कुमार बिंझवार, अंगारखार :– मै जमीन विभाजन के लिए 2018 में आवेदन दे चुकी हूँ। 1.15 एक्ड जमीन है। राज मार्ग मे मेरी जमीन फंसी है। उसमें 7–8 लोग फंसे है। मै अपनी इच्छा से जमीन विभाजन नहीं करूंगी। जिस–जिस का जमीन लिया जाये उस–उस का नाम चढा दिया जाये। मेरी जमीन कितना डिसमिल है उसे मेरा नाम में चढा दिया जाये। पटवारी ने मेरा काम नहीं किया है। मेरा जमीन नपवा दिया जाये यही मेरा निवेदन है।

10. श्री राजकुमार सिंह, अकलतराः–एनएच जो बन रहा है उसमें अमलीपाली ग्राम के जो युवा है। उसे योग्यता अनुसार कार्य करना चाहे उनको प्राथमिकता दे। पेड़ काटकर उसे बंदरबाट किया जाता है वह न होने पाये पर्यावरण अधिकारी ध्यान दे।

11. पुन श्री किर्ती कुमार राजपूत, अमलपाली :– रोड का निर्माण हो रहा है। इससे राज्य देश का विकास होगा। इसके हम समर्थक है। रोड बनने से वाहन के चलने से आसपास खेती प्रभावित होगा। उसका मुआवजा कैसे देंगे। हम किसान है हमको जो हानि होगा। उसका प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे।

12. श्री हेमंत सिंह, चंदनिया :– मेरी जमीन है। कितना जा रहा है। उसका मापकर मुझे बताया जाये। मेरी गांव की सभी लोग की यही समस्या है। हमारी जीविका इसी से है। हमको उचित मुआवजा दिया जाये।

13. श्री रोहित कुमार, अंगारखार पंतोरा :– मेरा कहना है फोर लेन में जो जमीन निकल रहा है। वो मेरा है। हम तीन भाई है। जिसे मै बोता खाता हूँ। जो निकल रहा है वो मेरा जमीन है। उसका राशि मेरे नाम से मिलना चाहिए। जो जमीन है उसका विभाजन किया जाये। मै उस जमीन को बहुत दिनों से बो–खा रहा हूँ।

14. पुनः श्री खोरबहरा बनर्जी, हरदीविशाल :– हम लोग अपने जमीन को अपने मन से नहीं बेच रहे है। ये जमीन हमारी जा रही है। शासन से पैसा मिलेगा। हम उस पैसे के ब्याज से जीवन यापन करेंगे। उस पैसा का इन्कम टैक्स तो नहीं कटेगा, बताया जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 1.35 बजे अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री विमल कुमार, सहायक अभियंता, M/s National Highways Authority of India, Development of Bilaspur द्वारा **जिला–बिलासपुर एवं जिला–जांजगीर–चांपा** के Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Start at Juction with NH-130 and NH-130A, near Nehru Chowk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near Urga in the state of Chhattigarh (approx. 70.2 km) परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 2.00 बजे अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 14 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 14 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 200 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 52 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अपर कलेक्टर
जिला–जांजगीर–चांपा

C:\Users\Diwan Sir\Desktop\NHAI Public Hearing 25.02.2019 Raja.Docx